रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234341 CG-DL-E-22032022-234341

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943 No. 146] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

# भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कमर्चारियों की नियुक्ति)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

(2022 का संख्या 3)

फा. सं. ए-12013/13/आर आर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्या 3).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) यथा संशोधित आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 14) की धारा 54 की उप-धारा (1) तथा धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (X), के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का 1) को संशोधित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है नामत: -

### संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इस विनियम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कमर्चारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का 3) कहा जाएगा।
- (2) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

1912 GI/2022 (1)

# 2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में संशोधन :-

- (क) सहायक महानिदेशक के पद के लिए ''पद की संख्या'' कॉलम में प्रविष्टि ''42 \*(2020)\* कार्य के आधार पर परिवर्तन के कारण'' को ''41'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) ''सहायक महानिदेशक'' पद को पुन: पदनामित कर ''निदेशक'' किया जाएगा। तद्नुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में उन सभी स्थानों पर जहां लागू हो ''सहायक महानिदेशक''/''सहायक महानिदेशकों'' से संबंधित प्रविष्टि को ''निदेशक''/''निदेशकों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) "सहायक महानिदेशक(प्रोद्यौगिकी)" पद को पुन: पदनामित कर "निदेशक (प्रोद्यौगिकी)" किया जाएगा। तद्नुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में उन सभी स्थानों पर जहां लागू हो "सहायक महानिदेशक (प्रोद्यौगिकी)" से संबंधित प्रविष्टि को "निदेशक (प्रोद्यौगिकी)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (घ) "सहायक महानिदेशक(प्रोद्यौगिकी-उपसचिव स्तर)" पद को पुन: पदनामित कर "सहायक महानिदेशक (प्रोद्यौगिकी)" किया जाएगा। तद्नुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में उन सभी स्थानों पर जहां लागू हो "सहायक महानिदेशक(प्रोद्यौगिकी-उपसचिव स्तर)" से संबंधित प्रविष्टि को "सहायक महानिदेशक (प्रोद्यौगिकी)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ड.) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में सहायक महानिदेशक पद के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा।

पद का नाम	पद की संख्या	भर्ती की पद्धति	किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है	चयन समिति का संयोजन
सहायक महानिदेशक वेतन मैट्रिज्ञ्स स्तर-12	01	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	प्रतिनियुक्ति से –(i) केंद्र सरकार में सदृश्य पद पर अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी।  या  वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 में चार वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा।  या  अपेक्षित अनुभव के साथ समतुल्य ग्रेड में नियमित पद पर कार्यरत राज्य/संघ शासित सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त संगठन के अधिकारी।  (ii) आयु 56 वर्ष से कम।	

(च) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 की अनुसूची में आशुलिपिक पद के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

पद का नाम	पद की संख्या	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है	चयन समिति का संयोजन
सहायक तकनीकी अधिकारी वेतन मैट्रिंक्स स्तर-6	12	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती	अधिकतम 30 वर्ष	सरकारी एजेंसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंजीनियरी या प्रोद्यौगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री	प्रतिनियुक्ति से – (i) केंद्र सरकार में सदृश्य पद पर अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी, या वेतन मैट्रिक्स स्तर 05 में तीन वर्ष की नियमित सेवा, या वेतन मैट्रिक्स स्तर 04 में पांच वर्ष की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स स्तर 03 में सात वर्ष की नियमित सेवा या अपेक्षित अनुभव के साथ समतुल्य ग्रेड में नियमित पद पर कार्यरत राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी  (ii) इंजीनियरी या प्रोद्यौगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री	- अध्यक्ष

## टिप्पणी-

- (i) मुख्य विनियम यथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 04 में दिनांक 21 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्या 01) के माध्यम से प्रकाशित किया गया।
- (ii) मुख्य विनियम का पहला संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 04 में दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2021 का संख्या 03) के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

# UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2022

Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees)

(Second Amendment) Regulation, 2022

(No. 3 of 2022)

**F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI** (No. 3 of 2022).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of section 54 and clause (x) of sub-section (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulation further to amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations,2020 (No. 1 of 2020) namely:—

#### 1. Short title and commencement-

- (1) This regulation may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) (Second Amendment) Regulations, 2022 (No. 3 of 2022).
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment in Schedule to the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020-
  - (a) Against the post of Assistant Director General, under the column of Number of post, the entry "42\* (2020) \* Subject to variation dependent on workload" shall be substituted with "41".
  - (b) Post of "Assistant Director General" shall be renamed as "Director". Accordingly, the entry "Assistant Director General" ("Assistant Director Generals" shall be substituted with "Director" ("Directors" in all places as and where applicable in Schedule of Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020.
  - (c) Post of "Assistant Director General (Technology)" shall be renamed as "Director (Technology)". Accordingly, the entry "Assistant Director General (Technology)" shall be substituted with "Director (Technology)" in all places as and where applicable in Schedule of Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020.
  - (d) Post of "Assistant Director General (Technology DS Level)" shall be renamed as "Assistant Director General (Technology)". Accordingly, the entry "Assistant Director General (Technology DS Level)" shall be substituted with "Assistant Director General (Technology)" in all places as and where applicable in Schedule of Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020.
  - (e) Following shall be inserted below the post of Assistant Director General in Schedule of Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020 :

- 100	Number of post	Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation is to be made	Composition of Selection Committee
Assistant Director General Pay matrix level-12	01	Deputation /contract	By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; <b>OR</b> With four years of regular service in the Pay Matrix Level 11 or above. <b>OR</b> Officers from State/UT Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience.  (ii) Age below 56 years.	Officer, UIDAI—Chairman  2. Two Deputy Director Generals of UIDAI—Members

(f) Following shall be substituted against the post "Steno" in Schedule of Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020:

Post Name	Number of Post	Method of recruitment	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Grade from which promotion/ deputation is to be made	Composition of Selection Committee
Assistant Technical Officer, Pay Matrix level-6	12	Deputation/ Absorption/Direct Recruitment	Maximum 30 years	Four year degree in Engineering or Technology or Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government agencies.	By deputation- (i) Officers from the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department OR  With three years of regular service in the Pay Matrix Level 5. OR  With five years of regular service in the Pay Matrix Level 4  OR  With seven years of regular service in the Pay Matrix Level 3  OR  Officers from State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization holding regular post in corresponding grades with requisite experience.  (ii) Four year degree in Engineering or Technology or Masters degree in computer applications from an institution recognized by Government	1. Deputy Director General – Chairman 2.Two Directors– Members

|--|

[PART	III–	-SEC.4]

		agencies.	
		(iii) Age below 56 years	

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer [F. No. ADVT .—III/4/Exty./ 702/ 2021-22]

#### Note:

- i. The principal regulations i.e Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 1 of 2020) dated 21<sup>st</sup> January, 2020.
- ii. First Amendment of the principal regulations was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No 3 of 2021) dated 27<sup>th</sup> December, 2021.